



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जगदलपुर

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JAGDALPUR

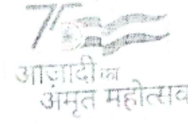
हाटकचौरा, जगदलपुर (छ.ग.) - 494001

HAATKACHOURA, JAGDALPUR (C.G.) - 494001

Website: <https://jaqdalpur.kvs.ac.in/>

E-mail: jaqdalpurkv@gmail.com

Tel: - 07782-227262 (O)



Date: 02.09.2026

File No-F.3-15/ KV-JDP/2026-27/1564/306

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फ.11-55/2000-के.वि.सं.(सतर्कता)पार्ट-1/1122-1125 दिनांक: 05.03.2019 एवं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक फ.32062/के.वि.सं.(सं.का.)/रायपुर/2018-19/13029-036 दिनांक: 24.08.2026 की अनुपालना में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के कंडिका-4(2) के अनुरूप अविलम्ब विद्यालय स्तरीय निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा रहा है -

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सदस्य का पदनाम	समिति के सदस्य का कार्यालय	समिति में सदस्यदायित्व	क्षेत्राधिकार
1	श्रीमती प्रभा मिंज	सहायक आयुक्त	के.वि.एस. क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई	पीठासीन अधिकारी	प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त विद्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए।
2	सुश्री महफूज़ा हुसैन	एन.जी.ओ. सदस्य	आरफा फाउंडेशन कल्याणकारी समिति	एन.जी.ओ. सदस्य	
3	श्रीमती सायमा शेख	पी.जी.टी.(सी.एस.)	पीएम श्री के.वि.जगदलपुर	सदस्य	
4	श्रीमती नंदिनी साहा	पी.जी.टी.(अंग्रेजी)	पीएम श्री के.वि.जगदलपुर	सदस्य	
5	श्री बी.एस. रामकुमार	सदस्य विद्यालय प्रबंध समिति सह प्राचार्य	जगतु महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर बस्तर(छ.ग.)	सदस्य	

पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

(क) यह जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के निर्णय में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(ख) यह कि उपरोक्त आंतरिक शिकायत समिति को किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उनकी टिप्पणियों। सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्ष और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(ग) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कड़ाई से की जानी है।

(राज कुमार आसनानी)

प्राचार्य / PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA
जगदलपुर, बस्तर / JAGDALPUR, BASTAR
CHHATTISGARH 494001

प्रति एवं वितरण:

1. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर: सादर सूचनार्थ।
2. समस्त समिति सदस्य एवं अध्यापक/कर्मचारी पीएम श्री के. वि. जगदलपुर।